Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to relax the norms for appointment on compassionate ground in group 'C' and 'D' posts in Central Government services-laid.

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं माननीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री जी का ध्यान केन्द्र सरकार की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में होने वाले अनावश्यक विलम्ब की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।

केन्द्र सरकार में प्रत्येक वर्ष तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के केवल पांच फीसदी पद ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं । अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का मूल उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार को तुरंत सहायता प्रदान करना होता है ताकि ऐसे परिवार के सम्मुख, अपने परिवार के पालन-पोषण में कोई कठिनाई पैदा न हो ।

इस योजना के लिए बनाये गये मानक एवं शर्ते जटिल ही नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष पेक्ष्य में अव्यवहारिक भी हो गयी हैं । इससे संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अपेक्षाकृत काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इससे न केवल प्रत्येक विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का बैक-लॉग वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है बल्कि पीड़ित परिवारों को त्वरित रूप से विकट वित्तीय एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इन नियुक्तियों के लिए बनाये गये नियमों को ऐसे परिवारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण दृष्टिगत रखते हुए लचीला बनाया जाय ताकि ऐसे परिवारों को इस योजना का सही अर्थो में लाभ मिल सके ।